

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के प्रति शिक्षकों व अभिभावकों की अभिवृत्ति

^अमुकेश कुमार शर्मा, ^बप्रमिला दुबे

^अशोधार्थी (शिक्षा विभाग) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

^बनिर्देशिका, (डीन, शिक्षा विभाग) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

Abstract

प्रस्तुत शोध अध्ययन “निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के प्रति शिक्षकों व अभिभावकों की अभिवृत्ति” का उद्देश्य अध्यापक-अध्यापिकाओं एवं अभिभावकों की निःशुल्क शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का जानकारी प्राप्त करना ताकि सामान्य जन के प्रति सहृदयता विकसित की जा सकती है, जिससे शिक्षा के अधिकार का हनन न हो। सभी देशों के विद्यार्थियों लोगों में उनकी संस्कृति मूल्यों तथा जीवन के ढंगों के लिए समझदारी विकसित करना तथा शिक्षकों तथा सामान्य व्यक्ति को शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों का हल ढूँढने में सहायता प्रदान करना है। प्रस्तुत शोध पत्र में सर्वेक्षण विधि को आधार बनाया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन द्वारा स्पष्ट है कि निःशुल्क शिक्षा को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से लागू करके छात्रों को इस तथ्य से अवगत कराया जा सकेगा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक सामर्थ्य के विकास के लिए अनिवार्य है।

कीवर्ड्स:- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, शिक्षक, अभिभावक, अभिवृत्ति।

प्रस्तावना:- शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा पथ प्रदर्शन करती है। इससे बुद्धि, विवेक, तथा निपुणता में वृद्धि होती है। शिक्षा मनुष्य का तीसरा नेत्र है। जो तत्वों के मूल भाव को समझने की क्षमता प्रदान करती है। इससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। जैसे – शारीरिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक विकास आदि। मानव इतिहास के आदि काल से शिक्षा का विभिन्न प्रकार से प्रसार होता रहा है। प्रत्येक देश अपनी सामाजिक व सांस्कृतिक अस्मिता को अभिव्यक्त करने एवं उसे पूर्ण करने के लिए अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली विकसित करते हैं। लेकिन भारत के इतिहास में कभी कभी ऐसा समय आता है। जब अतीत से चलते आ रहे उस सिलसिले को एक नई दिशा देने कि नितांत आवश्यकता रहती है। वर्तमान की जड़े अतीत में विद्यमान हैं। भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई थी। उस काल में शिक्षा धर्म के लिए ग्रहण की जाती थी शिक्षा आत्मबोध एवं मुक्ति का साधन थी। वैदिक काल की शिक्षा बाह्यणीय पद्धति पर आधारित थी। बाह्य शिक्षा से जन साधारण को वंचित करने लगे इसके विरोध में बौद्ध धर्म का उदय ई. पु. 5वीं शताब्दि में हुआ। लेकिन धीरे धीरे बौद्ध धर्म की शिक्षा पद्धति में भी अनेक कमीया हो गयी बौद्ध भिक्षुओं में आपसी वैचारिक भिन्नता उत्पन्न हो गयी जिसमें लोगो का बौद्ध शिक्षा से मोह समाप्त होने लगा था। मध्यकाल में मुस्लिमो एवं मुगलों ने शिक्षा का व्यवस्थित प्रचलन किया जो स्थाई संस्थाओ मदरसो एवं मकतबो में दी जाती थी लेकिन वह शिक्षा इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दी जाती थी जिससे हिन्दु जनमानस में अरुचि उत्पन्न हो रही थी।

भारत में निरक्षरता को समाप्त करने एवं विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आने के लिए यह जरूरी है कि देश का भावी प्रत्येक बच्चा एवं साथ ही वर्तमान 14 वर्ष तक के ही बच्चों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो ताकि वे शिक्षा ग्रहण कर सकें एवं वे भारत के सुनागरिक बन सकें। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अर्थ सामान्यतः यह है कि – “देश का प्रत्येक बालक एवं बालिका जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के है, उन्हें सरकारी विद्यालयों में बिना पूँजी या शुल्क वसुली के बिना किसी भेद भाव के शिक्षा के शिक्षा प्रदान करना।”

बच्चों की निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के प्रसार एवं प्रजातान्त्रिक राज्य में सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि कमजोर वर्गों के बच्चों को एवं असहायक वर्गों के बालक-बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने की सरकारी नीति बनायी गयी जिसमें 14 वर्ष तक के सभी बालक-बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था का अधिनियम दिसम्बर 2008 में राज्य सभा में पारित किया गया एवं भारत के 59 वें गणतन्त्र दिवस 2009 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण देश में लागू किया गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अशोक सम्पतराव ने 29 मार्च 2011 को दो अधिसूचनाएं भी जारी कर दी। इनके मुताबिक राज्य में स्थित सभी गैर सरकारी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें 'दुर्बल वर्ग' व 'अभावग्रस्त' समूह के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी।

शोध कार्य के उद्देश्य :-

1. बच्चों कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के प्रति अभिभावकों कि अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
2. बच्चों कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के प्रति शिक्षकों कि अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

शोधकार्य की परिकल्पनाएं

1. बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के प्रति अभिभावकों व अध्यापकों कि अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के प्रति ग्रामीण क्षेत्र के महिला अभिभावक व पुरुष अभिभावकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के प्रति ग्रामीण क्षेत्र के महिला शिक्षक व पुरुष शिक्षकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
4. बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के प्रति शहरी क्षेत्र के महिला अभिभावक व पुरुष अभिभावकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
5. बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के प्रति शहरी क्षेत्र के महिला शिक्षक व पुरुष शिक्षकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
6. बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के प्रति ग्रामीण क्षेत्र के महिला शिक्षकों व व शहरी क्षेत्र के महिला शिक्षकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
7. बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के प्रति ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष शिक्षकों व शहरी पुरुष शिक्षकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

8. बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के प्रति ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष शिक्षकों व शहरी पुरुष शिक्षकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
9. बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के प्रति ग्रामीण पुरुष अभिभावक व शहरी पुरुष अभिभावकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध के चर :-

करलिंगर के अनुसार :- “चर वह गुण है जिसके विभिन्न मूल्य हो सकते हैं।”

ऐसे गुण जिनमें परिवर्तन होता रहता है उन्हें चर कहते हैं। चर दो प्रकार के होते हैं –

1. **स्वतंत्र चर:-** वे चर जिनका कारक रूप में अध्ययन किया जाता है। प्रस्तुत शोध में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को स्वतंत्र चर के रूप में लिया गया है।
2. **आश्रित चर –** वे चर जिन पर स्वतंत्र चर का प्रभाव पड़ता है। प्रस्तुत शोध में आश्रित चर के रूप में अभिभावक व शिक्षक की अभिवृत्ति को लिया गया है।

तकनीकी शब्दावली :-

प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त शब्दावली को नीचे स्पष्ट किया जा रहा है।

निःशुल्क शिक्षा :- ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जहाँ पर बच्चों से किसी प्रकार का शुल्क या पुंजी गृहण न की जाये वह निःशुल्क शिक्षा है।

डॉ. एस.एन. मुखर्जी “ के अनुसार – “ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें ज्ञानदाता ज्ञान ग्रहिता से ज्ञान प्रदान के बदले कुछ शुल्क प्राप्त न करे वह निःशुल्क शिक्षा कहलाती है।”

“महात्मा गाँधी” – “बालक जो अबोध है उसे व्यवहार का ज्ञान प्रदानकर्ता अपने श्रम के बदले बालक या माता पिता से कुछ प्रतिफल ग्रहण न करे वह निःशुल्क शिक्षा है।”

अनिवार्य शिक्षा :- ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें माता पिता का यह दायित्व हो की वह वे अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाने के लिए शाला में नामांकित करवाये एवं शाला में शिक्षक उन बच्चों को जिम्मेदारी से शिक्षा प्रदान करे। एवं बालक शिक्षा पूर्ण किये बिना कारण अध्ययन न रोके।

“गाँधी के अनुसार अनिवार्य शिक्षा :- “समाज शिक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था करे जिसमें अभिभावक नैतिकता के तोर पर अपने बच्चों को जरूर शिक्षालयों में भेजे।”

“रविन्द्रनाथ टैगोर” – ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो शिक्षक शिक्षार्थी एवं अभिभावको पर अनिवार्य रूप से यह प्रबन्ध करे कि अभिभावक बच्चों को शालाओ में भेजे एक शिक्षक उन्हें ज्ञान प्रदान करने में नियमितता रखे।

अभिभावक :- बालक के संरक्षक जो बालक का हर प्रकार से निर्वहन करते है।

शिक्षक :- राष्ट्र का निर्माणकर्ता शिक्षण प्रक्रिया का आधारस्तम्भ तथा शिक्षण व्यवस्था की धुरी शिक्षक कहलाते है।

अभिवृत्ति :- मन की वह विशेष वृत्ति जो किसी व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, संस्था या संस्था या विचार के प्रति हमारे आचरण का स्वरूप निर्धारित करती है, जिसके कारण हम इन वस्तुओं के प्रति अपनी कोई विशेष धारणा अथवा विचार बना लेते हैं, अभिवृत्ति कहलाती है।

टुकमैन के शब्दों में, (1975) "क्षमताओं या अन्य गुणों के ऐसे संयोग को जो चाहे जन्मजात हो या अर्जित, ज्ञात हो या जिससे किसी विशेष क्षेत्र में प्रवीणता विकसित करने या व्यक्ति के सीखने की क्षमता का पता चलता हो, अभिवृत्ति कहा जाता है।"

फ्रीमैन के अनुसार (1971),- "अभिवृत्ति, किसी परिस्थिति, व्यक्ति अथवा पदार्थ के प्रति संगत तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की एक स्वभावगत प्रवृत्ति है जिसे सीखा जाता है। तथा यह किसी व्यक्ति विशेष के प्रत्युत्तर देने की लाक्षणिक रीति बन जाती है।"

सार्थकता स्तर निर्धारण व विश्लेषण:-

तालिका संख्या -1

समूह (Group)	N	मध्यमान M	प्रमाप विचलन (SD)	t value CR	सार्थकता स्तर
अभिभावक	48	36.73	2.57	0.78	स्वीकृत
अध्यापक	48	3.80	2.50		

बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के प्रति अभिभावकों व अध्यापकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या -2

समूह (Group)	N	मध्यमान M	मानक विचलन (SD)	t value CR	सार्थकता स्तर
पुरुष अभिभावक (ग्रामीण क्षेत्र)	12	44.42	2.57	0.68	स्वीकृत
महिला अभिभावक (ग्रामीण क्षेत्र)	12	45.17	2.82		

बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के प्रति ग्रामीण क्षेत्र के महिला अभिभावक व पुरुष अभिभावकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध अध्ययन का शैक्षिक निहितार्थ :-

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन द्वारा अध्यापक एवं अध्यापिकाएं निःशुल्क शिक्षा के प्रति जागरूक होकर विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति सार्वभौमिक उत्कण्ठा जाग्रत कर सकेंगे।
2. प्रस्तुत शोध अध्ययन द्वारा सामान्य जन के प्रति सहृदयता विकसित की जा सकती है। जिससे शिक्षा के अधिकार का हनन न हो।
3. प्रस्तुत शोध अध्ययन द्वारा विद्यार्थियों में सभी देशों के लोगों, उनकी संस्कृति मूल्यों तथा जीवन के ढंगों के लिए समझदारी विकसित की जा सकेगी।

4. प्रस्तुत शोध अध्ययन से शिक्षकों तथा सामान्य व्यक्ति को शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों का हल ढूँढने में सहायता मिल सकेगी।
5. प्रस्तुत शोध अध्ययन द्वारा निःशुल्क शिक्षा को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से लागू करके छात्रों को इस तथ्य से अवगत कराया जा सकेगा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक सामर्थ्य के विकास के लिए अनिवार्य है।

भावी शोध हेतु सुझाव :-

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन का बड़ा न्यादर्श लेकर जयपुर जिले के अतिरिक्त अन्य जिलों में भी प्रशासित किया जा सकता है।
2. प्रस्तुत शोध अध्ययन को अलग-अलग विषयाध्यापकों जैसे सामाजिक विज्ञान के अध्यापक, इतिहास के अध्यापक, विज्ञान के अध्यापक आदि पर किया जा सकता है।
3. प्रस्तुत शोध को शहरी अध्यापकों व अध्यापिकाओं पर किया जा सकता है।
4. प्रस्तुत शोध अध्ययन शहरी अभिभावकों पर किया जा सकता है।
5. प्रस्तुत शोध अध्ययन के द्वारा ग्रामीण अभिभावकों का अध्ययन किया जा सकता है।
6. प्रस्तुत शोध अध्ययन को छात्राध्यापक व छात्राध्यापिकाओं पर किया जा सकता है।

शोध परिसीमांकन :-

1. प्रस्तुत शोधकार्य के लिए न्यादर्श की संख्या 96 निर्धारित की गई है।
2. प्रस्तुत शोधकार्य जयपुर जिले तक सीमित रखा गया है।
3. प्रस्तुत शोधकार्य हेतु 04 विद्यालयों का चयन किया गया है।
4. प्रत्येक विद्यालयों में से मात्र 12 अध्यापिकाएं व अध्यापकों का चयन किया गया है।
5. प्रस्तुत शोधकार्य हेतु 12 महिला अभिभावकों का चयन किया गया है।
6. प्रस्तुत शोधकार्य हेतु 12 पुरुष अभिभावकों का चयन किया गया है।
7. प्रस्तुत शोधकार्य हेतु शहरी ग्रामीण अभिभावक अध्यापकों का चयन किया गया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल, संध्या; "शिक्षा मनोविज्ञान", विजय प्रकाशन मन्दिर, वाराणसी, 2005
2. भार्गव महेश; "मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं मापन", हरप्रसाद भार्गव बुक हाउस, शैक्षिक प्रकाशन, आगरा, 1997,
3. भटनागर ए.बी., भटनागर मीनाक्षी; "भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास", आर.लाल बुक डिपो, मेरठ, 2006
4. भटनागर सुरेश; "शिक्षा मनोविज्ञान", आर.लाल बुक डिपो, मेरठ 2008
5. भटनागर सुरेश; "अधिगम एवं विकास के मनोसामाजिक आधार", इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ, 2005
6. बेस्ट जॉन डब्ल्यू; "रिसर्च इन एजुकेशन", प्रेक्टिस हॉल, (इंक) एंगिल बुक क्लिफस, यू. एस.ए., 1958

7. बोरग डेलनपेन; "अण्डर स्टेडिंग एजुकेशन रिसर्च", मेग्राहिल बुक कम्पनी, न्यूयार्क, 1958
8. दत्ता संजय; "शिक्षा-मनोविज्ञान में अधिगम एवं व्यक्तित्व", जैन प्रकाशन मन्दिर, जयपुर, संस्करण-2005
9. क्रेच एवं क्रचफील्ड; "थ्योरी एण्ड प्राब्लम्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी", मैग्राहिल पब्लिकेशन, न्यूयार्क 1948.
10. गुड, वी. कार्टर और स्केट्स डी.ई.; "मैथड्स ऑफ रिसर्च", एप्लटन सेन्चुरी क्राफ्टस (इंक), न्यूयार्क, 1954.
11. गुडे एवं हॉट; "मैथड्स इन सोशल रिसर्च", मेग्राहिल बुक कम्पनी, न्यूयार्क, 1962,
12. कपिल एच.के.; "अनुसंधान विधियाँ", एच.पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा, 1998
13. कपिल एच.के.; "सांख्यिकी के मूल तत्व", एच.पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा, 2007
14. करलिंगर एफ.एन.; "फाउंडेशन ऑफ बिहेवरियल रिसर्च", सेन्चुरी क्राफ्ट, न्यूयार्क, 2002
15. कुलश्रेष्ठ एस.पी.; "शिक्षा मनोविज्ञान", आर.लाल बुक डिपो, मेरठ, 2008